

गोटमार मेले की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने और दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

पांडुर्णा, देशबन्धु। पांडुर्णा की ऐतिहासिक एवं गौरवशाली परंपरा गोटमार मेले के शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर आज शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग एवं नागरिक सुविधाओं सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र परिहार, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद, संयुक्त कलेक्टर सुश्री नेहा सोनी, एस.डी.एम. पांडुर्णा श्रीमती अलका एक्का, पांडुर्णा विधायक निलेश उडके, भारतीय जनता पार्टी पांडुर्णा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, सहित संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधि एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को मेले के दौरान



सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयपूर्व सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य गोटमार मेले की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए मेले का आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराना है।

गोपन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध,

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई- बैठक में गोटमार मेले के दौरान गोपन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति गोपन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि मेले के दौरान

प्रतिबंधात्मक आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराया जाए। पुलिस एवं प्रशासन के समन्वय से प्रातः 8 बजे से मेला समाप्ति तक सतत निगरानी रखी जाएगी। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति की तत्काल पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था रहेगी सुव्यवस्थित-मेले के दौरान श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की सुविधा तथा यातायात के सुचारु संचालन के लिए विशेष यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शहर में उपलब्ध खाली स्थानों पर सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। शहर के भीतर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बड़े वाहनों को शहर के बाहरी क्षेत्र में निर्धारित स्थानों पर पार्क कराया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था, पार्किंग स्थल, प्रवेश एवं निकासी मार्गों तथा भीड़ प्रबंधन के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

शुक्रवार के स्थान पर मंगलवार को लगेगा सामाहिक बाजार-मेले के दौरान यातायात एवं भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को आयोजित होने वाले सामाहिक बाजार को इस बार शुक्रवार के स्थान पर मंगलवार को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया

गया है। संबंधित विभागों को बाजार व्यवस्था के संबंध में आवश्यक समन्वय एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

नागरिकों से शांति एवं संयम एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील-गोटमार मेला पांडुर्णा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। बैठक में सभी समाजों एवं वर्गों के नागरिकों से मेले की गरिमा बनाए रखने तथा आपसी भाईचारा, सद्भाव, संयम एवं शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की अपील की गई। कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करने तथा मेले के शांतिपूर्ण आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जाएगी। नागरिकों के सहयोग एवं जिम्मेदार सहभागिता से गोटमार मेले को शांति, सुरक्षा, सौहार्द एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न कराने का संकल्प व्यक्त किया गया।

सार-समाचार

पुलिस ने स्कूटी से 85 हजार नकद व जेवर चोरी करने वाले हिमांशु को गिरफ्तार किया



छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। कोतवाली पुलिस द्वारा स्कूटी से 85 हजार रुपये नगद और सोने के जेवर चोरी करने के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूटी की डिकी से नकदी और सोने के जेवर उड़ाने वाले शालीर चोर को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपित घटना के बाद से पिछले एक साल से सिंगरौली में छिपा हुआ था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे भागने से पहले ही दबोच लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है।

13 सितंबर 2025 को प्रार्थी चांदनी बांधेवर पति दिनदिन बांधेवर उम्र 34 वर्ष, निवासी ललित गथान, कोतवाली छिंदवाड़ा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी स्कूटी क्रमांक-एम.पी. 28 जेड.एफ.-2473 अभिषेक चौकसे के घर के सामने खड़ी की थी। स्कूटी की डिकी के अंदर 85,000 रुपये नगद और सोने के मंगलसूत्र की सोने की गुरिया रखी हुई थी, जो अज्ञात चोर चुरा ले गए। प्रार्थी ने अभिषेक चौकसे के घर के सामने रहने वाले दो युवकों हिमांशु उर्फ चोटी और अक्षय यादव पर संदेह जाहिर किया था, क्योंकि इस घटना के संबंध में प्रिंस परतेती ने प्रार्थी को पूरी बात बताई थी। इस रिपोर्ट पर थाना देहात (कोतवाली) में अपराध क्रमांक 463/2025, धारा 303(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना के बाद से ही देहात/कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों आरोपितों की धरपकड़ हेतु लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी, लेकिन सुराग नहीं मिल पा रहा था। थाना प्रभारी देहात निरीक्षक गोविंद सिंह राजपूत को सूचना मिली थी कि प्रकरण का एक संदेही हिमांशु उर्फ चोटी बेलवंशी एएसएलआर स्कूल के पास किराए के मकान में किसी दोस्त के घर रुका हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा थाना स्तर पर एक विशेष टीम गठित की गई और तत्काल दबिश देकर संदेही हिमांशु उर्फ चोटी को हिरासत में ले लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने घटना दिनांक को अपने दोस्त अक्षय यादव के साथ मिलकर उक्त युवती की स्कूटी से रुपये और सोने के जेवर चुराए थे। आरोपी ने बताया कि उसने अपने हिस्से में आए 35,000 रुपये खाने-पीने में खर्च कर दिए हैं। आरोपित हिमांशु को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपित हिमांशु उर्फ चोटी शालीर किस्म का अपराधी है। उसके विरुद्ध थाना कुंडीपुरा, मोहखेड और देहात में शराब तस्करी, मारपीट, आर्म्स एक्ट और चोरी के कई पुराने अपराध दर्ज हैं। प्रकरण का दूसरा आरोपित अक्षय पिता जुगलप्रसाद यादव उम्र 25 वर्ष अभी फरार है। उसकी तलाश हेतु देहात पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।

चांद, चौरई, उमरेठ, हरई के तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। बीते दिनों सोमवार को समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने तहसीलदारों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई थी और हिदायत दी थी कि यदि समय सीमा में कार्यवाही नहीं हुई तो तहसीलदार जवाबदार होंगे। यही कारण है कि 4 तहसीलदारों के खिलाफ जिला कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें से है चांद तहसील के तहसीलदार तथा चौरई के तहसीलदार और उमरेठ के तहसीलदार तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अमरवाड़ा उप संभाग के, हरई तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के नाराजगी के बाद और नोटिस जारी करने के निर्देश को लेकर तहसीलदारों में हड़कम्प व्याप्त हो गया है।

महिलाओं ने रखा हलछठ का व्रत पूजा अर्चना कर संतान की लम्बी आयु की कामना

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। हरछठ का व्रत कल 2 सितंबर 2026 को रखा गया। यह पर्व भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से माताएं इस दिन व्रत रखकर भगवान बलराम और हल-मूंगल की पूजा करती हैं। बताया जाता है कि हरछठ को ललही छठ और चंदन छठ के नाम से भी जाना जाता है। बाता दें कि इस साल षष्ठी तिथि का प्रारंभ सुबह 06:12 बजे से शुरू हो गया है षष्ठी तिथि का समापन तीन सितंबर की सुबह 04:25 बजे पर होगा। हरछठ पूजा का आयोजन वार्ड नम्बर 24 स्थित वर्मा परिवार, शर्मा परिवार के द्वारा की गई विधि विधान से और संख्या होते ही विसर्जन किया गया।

उन्होंने बताया कि व्रती महिलाएं सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें इसके बाद घर के आंगन या बाहर चौक बनाकर भगवान बलराम और उनके हल का प्रतीक बनाएं फिर पूजा की सामग्री से विधि-विधान के साथ पूजन की इस दिन बलराम जी के अस्त्र हल और मूसल की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है।



कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व वसूली और फार्मर रजिस्ट्री में की प्रगति की समीक्षा

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बुधवार को जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति का विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व वसूली, अवैध उत्खनन पर कार्रवाई, फॉर्मर रजिस्ट्री एवं सीएम हेलपलाइन से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, जिला मुख्यालय के सभी संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर सहित जिले के सभी एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खनिज अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध उत्खनन के प्रकरणों की समीक्षा

कलेक्टर श्री नारायण ने बैठक में जिले में अवैध उत्खनन के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की। खनिज अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से 1 सितंबर 2026 तक अवैध उत्खनन के कुल 35 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 15 प्रकरणों में 7 लाख 9 हजार 816 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है, जबकि 20 प्रकरणों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर श्री नारायण ने निर्देश दिए कि अवैध उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई



को और सख्त बनाया जाए तथा जुर्माने की राशि बढ़ाने संबंधी आवश्यक प्रक्रिया की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिससे इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके।

नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री नारायण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी कारणों से लंबित प्रकरणों का संबंधित तकनीकी टीम

से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीन माह से अधिक अवधि तक कोई भी नामांतरण अथवा बंटवारा प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए नियमित समीक्षा, सतत मॉनिटरिंग तथा जवाबदेही तय करते हुए लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

सितंबर माह में 40 प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री नारायण ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सितंबर माह में निर्धारित

वार्षिक लक्ष्य के कम से कम 40 प्रतिशत की वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए सभी अधिकारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष अभियान चलाते हुए नियमित समीक्षा करें और वसूली कार्य में अपेक्षित गति लाएं।

सर्पदंश पीड़ित परिवारों को समय पर मिले सहायता राशि

कलेक्टर श्री नारायण ने सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने

दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। जिला कलेक्टर छिन्दवाड़ा और आयुक्त नगर पालिक निगम से नागरिकों ने मांग की है कि आवारा कुत्तों की धरपकड़ आवश्यक है अन्वथा नौनिहाल बच्चों और बुजुर्ग, महिलाएं ऐसे आवारा कुत्तों के शिकार होते रहेंगे। साथ ही सड़कों में विचरण कर दौड़ लगवाने वाले कुत्तों के कारण दुर्घटना की पूरी आशंका बनी रहती है। बीते दिनों आवारा कुत्ते बारी बारी से कलेक्ट्रेट रोड और सल्कार के बीच दौड़ लगा रहे थे जिससे एक स्कूटी सवार युवती नीचे गिरकर घायल हो गई, उसे मलहम पट्टी करवाना पड़ा तो वहीं एक फोर व्हीलर वाहन अनियंत्रित होकर एक सायकल सवार को ठोस मार दिया जिससे सायकल ब्रेड हो गई और बुजुर्ग को चोट आई जो उपचारार्थ भर्ती है।

कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर पात्र परिवारों को शासन की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में खासकर मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों तथा सीएम हेलपलाइन की शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री नारायण ने निर्देश दिए कि जिन विकासखंडों में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, वहां के साथ-साथ अन्य विकासखंडों में भी प्रास शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे स्वयं सीएम हेलपलाइन के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें तथा प्रत्येक शिकायत के निराकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर श्री नारायण ने शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार बिछुआ के कार्यों की सहायता करते हुए कहा कि उनके द्वारा सीएम हेलपलाइन की शिकायतों का लगातार बेहतर एवं संतोषजनक निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने अन्य अधिकारियों को भी इसी प्रकार सक्रियता एवं संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए।